सोशल मीडिया सेल परिक्षेत्र आजमगढ़

PRESS NOTERANGEAZAMGARH

जनपद-आजमगढ़/मऊ/बलिया प्रेस-विज्ञप्ति दिनांक 29.12.2024

आजमगढ़

01.थाना: तहबरपुर, जनपद आजमगढ

गैंगेस्टर एक्ट का वांछित एवं शातिर अपराधी अवैध असलहा व कारतूस के साथ गिरफ्तार

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ द्वारा जनपद आजमगढ़ में अपराध एवं संगठित गिरोहों के विरुद्ध चलाए जा रहे प्रभावी अभियान के तहत आज दिनांक- 28.12.2025 को थाना तहबरपुर पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। थाना अतरौलिया पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के मुकदमे में वांछित चल रहे अभियुक्त को अवैध असलहे के साथ गिरफ्तार किया गया है।

➡ गिरफ्तार अभियुक्त एक शातिर अपराधी है, जिसके विरुद्ध थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ में अपहरण, चोरी, नकबजनी तथा संगठित अपराध से संबंधित कई गंभीर अभियोग पूर्व से दर्ज हैं।

दिनांक 12.12.2025 को समय करीब 09.55 बजे थाना तहबरपुर पुलिस द्वारा ओहनी अंडरपास के पास नहर मोड़, बहद ग्राम मकदूमपुर से अभियुक्त विजय कुमार पुत्र जगबन्धू, निवासी: ग्राम अचलीपुर, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़, उम्र: लगभग 25 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के समय अभियुक्त के कब्जे से एक अदद तमंचा .315 बोर एवं एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ।

☐ गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

1-विजय कुमार पुत्र जगबन्धू, निवासी: ग्राम अचलीपुर, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़, उम्र: लगभग 25 वर्ष

☐ पंजीकृत अभियोग

1.मु0अ0सं0 247/25 धारा 2(b)(1)/3(1) उ0प्र0 गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़

2.मु0अ0सं0 256/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़

☐ अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

गिरफ्तार अभियुक्त विजय कुमार एक शातिर एवं आदतन अपराधी है, जिसके विरुद्ध पूर्व से निम्न अभियोग पंजीकृत हैं—

1.मु0अ0सं0 85/13 धारा 363/366 भा0द0वि0, थाना अतरौलिया

2.मु0अ0सं0 173/24 धारा 457/380/411/413 भा0द0वि0, थाना अतरौलिया

3.मु0अ0सं0 208/24 धारा 379/411/413 भा0द0वि0, थाना अतरौलिया

4.मु0अ0सं0 247/24 धारा 303/317(2)/317(4) बीएनएस, थाना अतरौलिया

5.मु0अ0सं0 400/24 धारा 303/317(2)/317(4) बीएनएस, थाना अतरौलिया

6.मु0अ0सं0 401/24 धारा 303/317(2)/317(4) बीएनएस, थाना अतरौलिया

☐♂☐ गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

•प्र0नि0 वीरेन्द्र कुमार — थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़

•का0 राकेश कुमार — थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़

•का0 आफताब आलम — थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़

02. थाना: गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़

विद्यालय से हुई चोरी का सफल अनावरण; चोरी के लैपटॉप की बरामदगी के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

जनपद आजमगढ़ में अपराध नियंत्रण एवं संपत्ति संबंधी अपराधों के प्रभावी अनावरण हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत थाना गम्भीरपुर पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। विद्यालय में हुई चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए पुलिस टीम द्वारा एक अदद चोरी का लैपटॉप बरामद कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।

□ पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण

दिनांक 23.12.2025 को वादी मुकदमा श्री रामू चौहान पुत्र श्रवण कुमार चौहान, प्रबंधक श्रवण इंटर कॉलेज, ग्राम गंगापुर काजी, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

वादी द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 19/20.12.2025 की रात्रि 10.00 बजे से 03.00 बजे के मध्य अज्ञात चोरों द्वारा विद्यालय के कार्यालय का ताला व अलमारी तोड़कर नकदी, दो लैपटॉप (Acer, Dell), जियो वाई-फाई सेट-टॉप बॉक्स को क्षतिग्रस्त कर, साथ ही विद्यालय के महत्वपूर्ण मूल अभिलेख (अंकपत्र, प्रमाणपत्र, मान्यता पत्र आदि) चोरी कर लिए गए।

उक्त सूचना के आधार पर थाना गम्भीरपुर पर मु0अ0सं0 379/25 धारा 305/331/324 बीएनएस बनाम अज्ञात चोर पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना उ0नि0 संजय कुमार सिंह द्वारा की जा रही थी। विवेचना के दौरान सुरागरसी एवं बरामदगी के आधार पर अभियुक्तों के नाम प्रकाश में आए तथा धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई।

□ गिरफ्तारी का विवरण

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में, क्षेत्राधिकारी सदर आजमगढ़ के कुशल पर्यवेक्षण तथा थानाध्यक्ष अखिलेश कुमार सिंह के नेतृत्व में दिनांक 28.12.2025 को उ0नि0 संजय कुमार सिंह मय हमराह द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मुकदमे का सफल अनावरण किया गया। मुखबिर की सटीक सूचना पर दयालपुर मोड़ से समय 09.45 बजे प्रातः अभियुक्त तारकेश चौहान पुत्र रुदल चौहान, निवासी ग्राम उत्तरगावां, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़ को एक अदद चोरी के लैपटॉप (Acer) के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमे में संलिप्त अन्य अभियुक्तों—

1.सूरज पुत्र खरपत्तू चौहान, निवासी ग्राम उत्तरगावां

2.एक अन्य अज्ञात अभियुक्त, निवासी ग्राम दयालपुर के नाम भी प्रकाश में आए हैं। अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

□ गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

1- तारकेश चौहान पुत्र रुदल चौहान निवासी: ग्राम उत्तरगावां, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़

□□ पंजीकृत अभियोग

1.मु0अ0सं0 379/25 धारा 305/331/324/317(2) बीएनएस थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़

□ बरामदगी का विवरण

- 01 अदद चोरी का लैपटॉप (Acer)

□ ♂ □ गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

- उ0नि0 संजय कुमार सिंह, थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़
- का0 विनोद यादव, थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़
- का0 धीरज सिंह, थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़

03. थाना: गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़

चोरी की घटना का सफल अनावरण, जेवरात (कीमत लगभग 02 लाख रूपयें) की बरामदगी के साथ एक वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ द्वारा जनपद आजमगढ़ में अपराध नियंत्रण के दृष्टिगत चलाए जा रहे सघन अभियान के क्रम में थाना गम्भीरपुर पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। थाना गम्भीरपुर पर पंजीकृत चोरी के मुकदमे का सफल अनावरण करते हुए पुलिस टीम द्वारा चोरी गए कीमती जेवरात की बरामदगी के साथ एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।

□□ ♂ □ पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण

दिनांक 16.12.2025 को वादी मुकदमा श्री पवन कुमार पाण्डेय पुत्र गौरी शंकर पाण्डेय, निवासी ग्राम भोपालपुर, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़ द्वारा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ई-एफआईआर दर्ज कराई गई थी।

वादी उ0प्र0 सचिवालय में अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। वादी के ताला बंद आवास से अज्ञात चोरों द्वारा कागजात, लगभग ₹2,00,000 नकद तथा जेवरात चोरी कर लिए गए थे।

इस संबंध में थाना गम्भीरपुर पर मु0अ0सं0 365/25 धारा 305(a) बीएनएस बनाम अज्ञात चोर पंजीकृत किया गया था, जिसकी विवेचना उ0नि0 योगेश कुमार सरोज द्वारा की जा रही थी। विवेचना के दौरान सुरागरसी एवं बरामदगी के आधार पर अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया तथा धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई।

□ गिरफ्तारी का विवरण

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डा0 अनिल कुमार के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी सदर आजमगढ़ के कुशल पर्यवेक्षण में, थानाध्यक्ष श्री अखिलेश कुमार सिंह के नेतृत्व में दिनांक 28.12.2025 को थाना गम्भीरपुर पुलिस द्वारा मुखबिर की सटीक सूचना पर रानीपुर रजमो मोड़ से समय 12.15 बजे अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी के समय अभियुक्त के कब्जे से चोरी गए जेवरात बरामद किए गए।

□ गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

नाम: राजेश चौहान पुत्र परविन्द चौहान, निवासी: ग्राम अहियाई, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र: 24 वर्ष

□□ पंजीकृत अभियोग

1.मु0अ0सं0 365/25 धारा 305(a), 317(2) बीएनएस थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़

□ अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

1.मु0अ0सं0 112/24 धारा 34/380/411/413/414/457 भा0द0वि0 थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़

2.मु0अ0सं0 365/25 धारा 305(a) बीएनएस थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़

□ बरामदगी का विवरण (कीमत लगभग 02 लाख रूपयें)

- 01 अदद मंगलसूत्र (पीली धातु)
- 02 अदद झुमका (पीली धातु)
- 01 अदद अंगूठी (पीली धातु)

□ ♂ □ गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

- उ0नि0 योगेश कुमार सरोज, थाना गम्भीरपुर
- का0 अमित कुमार, थाना गम्भीरपुर

□ आजमगढ़ पुलिस का संदेश

जनपद में चोरी, नकबजनी एवं संपत्ति संबंधी अपराधों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही निरंतर जारी है। कानून व्यवस्था भंग करने वालों को किसी भी दशा में बख्शा नहीं जाएगा।

जनपद-मऊ

01.थाना घोसी साइबर पुलिस टीम द्वारा पीड़ित के खाते में 26,000/- धनराशि वापस कराया गया-

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार जी के पर्वेक्षण में साइबर फ्रॉड रोकथाम व जागरूकता के तहत चलाए जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी श्री जितेंद्र सिंह व प्रभारी निरीक्षक श्री प्रमेंद्र कुमार सिंह व अपराध निरीक्षक श्री मोतीलाल पटेल जी के कुशल नेतृत्व में थाने पर साइबर टीम द्वारा साइबर पुलिस पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाया गया था आवेदक रवि विश्वकर्मा निवासी मुस्कुरा कोइरियापार थाना घोसी जनपद मऊ के साथ साइबर फ्रॉड द्वारा अपने खाते से अज्ञात व्यक्ति द्वारा फ़ोन करके साइबर फ्रॉड कर लिया था जिसके संबंध में आवेदक द्वारा साइबर पोर्टल पर शिकायत दर्ज की गई थी जिसके तहत थाना घोसी में नियुक्त साईबर टीम उपनिरीक्षक प्रकाश सिंह (नोडल अधिकारी), उपनिरीक्षक दिनेश यादव (सहायक नोडल अधिकारी) ,हेड ऑपरेटर अरविंद यादव ,महिला आरक्षी काजल सिंह व महिला आरक्षी पुष्पलता पांडे द्वारा तत्काल कार्रवाई करके आवेदक रवि विश्वकर्मा निवासी मुस्कुरा कोइरियापार थाना घोसी जनपद मऊ की फ्रॉड धनराशि होल्ड कराई गई थी जिसके तहत पीड़ित को दिनांक 28/12/25 को 26,000/-रुपये वापस कराया गया।

02.एक वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से एक अदद आलाकत्ल डण्डा बरामद–

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्वेक्षण में व क्षेत्राधिकारी मधुबन श्री अंजनी कुमार पाण्डेय कुशल नेतृत्व में आज दिनाकं 28.12.2025 को थाना रामपुर पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त अविनाश सिंह उर्फ बिट्टू पुत्र रामानन्द सिंह निवासी डुमरी थाना रामपुर जनपद मऊ को गिरफ्तार किया गया जो संबंधित मु0अ0सं0 133/25 धारा 3(5), 117(2), 352, 115(2), 109, 103(1) बीएनएस पंजीकृत है। उक्त अभियुक्त गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार वांछित अभियुक्त–

1. अविनाश सिंह उर्फ बिट्टू पुत्र रामानन्द सिंह निवासी डुमरी थाना रामपुर जनपद मऊ

जनपद -बलिया

01.थाना दोकटी जनपद बलिया पुलिस द्वारा गाय चोरी करने से सम्बन्धित 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार तथा अभियुक्त के कब्जे से 02 अदद गाय किया गया बरामद।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक बलिया दक्षिणी श्री कृपा शंकर के निकट पर्यवेक्षण व श्रीमान् क्षेत्राधिकारी बैरिया श्री फहीम कुरैशी व थानाध्यक्ष दोकटी के कुशल नेतृत्व में थाना दोकटी पुलिस टीम को मिली सफलता।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 27.12.2025 को थाना दोकटी पर वादी द्वारा प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ कि दिनांक 27.12.2025 को समय 03.00 बजे जब वादि (गौशाला के चौकीदार) अपनी ड्यूटी पर था उसी समय गौशाला से किशोरी यादव

उर्फ दीपक यादव पुत्र राजकुमार यादव निवासी दया छपरा थाना बैरिया जनपद बलिया द्वारा दो गाय चोरी कर लेने के संम्बन्ध मे प्राप्त हुआ, इस सम्बन्ध मे थाना स्थानीय द्वारा तत्काल मु0अ0सं0 273/2025 धारा 305(a) बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया।

इसी क्रम में आज दिनांक 28.12.2025 को थाना दोकटी पर गठित पुलिस टीम 1. उ0नि0 श्री पवन निगम थाना दोकटी जनपद बलिया 2.उ0नि0 श्री राजमणि मौर्या थाना दोकटी जनपद बलिया 3. हे0का0 संजय कुमार थाना दोकटी जनपद बलिया 4.का0 सुरेन्द्र कुमार थाना दोकटी जनपद बलिया के साथ संयुक्त अभियान से मु0अ0सं0 273/2025 धारा 305(a) बी0एन0एस0 थाना दोकटी जनपद बलिया से सम्बन्धित अभियुक्त की गिरफ्तारी/विवेचना में मामूर थे कि मुखबीर खास की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अ भियुक्त किशोरी यादव उर्फ दीपक यादव पुत्र राजकुमार यादव निवासी दया छपरा थाना बैरिया जनपद बलिया के कब्जे से 02 अदद गाय बरामद हुआ। बरामगदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुये मा0 न्यायालय के समक्ष भेजा गया।

सम्बन्धित अभियोग-

1. मु0अ0सं0 273/2025 धारा 305(A) बी0एन0एस0 थाना दोकटी जनपद बलिया।

अभियुक्त का नाम व पता-

1. किशोरी यादव उर्फ दीपक यादव पुत्र राजकुमार यादव निवासी दया छपरा थाना बैरिया जनपद बलिया उम्र करीब 24 वर्ष

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. किशोरी यादव उर्फ दीपक यादव पुत्र राजकुमार यादव –

(i). मु0अ0सं0 273/2025 धारा 305(a) व बढोत्तरी धारा 317(2) बी0एन0एस0 थाना दोकटी जनपद बलिया

(ii).मु0अ0सं0 402/2025 धारा 115(2),351(3),352 बीएनएस थाना बैरिया जनपद बलिया

बरामदगी का विवरण-

1. अभियुक्त के कब्जे से 02 अदद गाय बरामद।

02.थाना सहतवार जनपद बलिया पुलिस द्वारा पास्को एक्ट से संबंधित 01 नफर वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक जनपद बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी महोदय श्री दिनेश कुमार शुक्ला के निकट पर्यवेक्षण में व श्रीमान् क्षेत्राधिकारी बांसडीह महोदय श्री जयशंकर मिश्रा के कुशल नेतृत्व में थाना सहतवार पुलिस टीम को मिली सफलता।

उल्लेखनीय है कि थानाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह मय हमराह कां0 विनोद यादव व का0 रुखशाद खान के साथ थाना से रवाना होकर देखभाल क्षेत्र,तलाश वाछिंत, पेण्डिग विवेचना में मामूर थे कि मूखबिर खास की सूचना पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 279/2025 धारा 65(1), 333 BNS व 3A/4(2) पास्को एक्ट थाना सहतवार जनपद बलिया से सम्बन्धित 01 नफर वाछिंत अभियुक्त 1.सन्टू चौहान पुत्र राजेन्द्र चौहान निवासी छपिया (चौहान बस्ती) थाना सहतवार जनपद बलिया उम्र करीब 25 वर्ष को बहदग्राम परसिया के पास काली माता मंदिर के स्थान के पास गिरफ्तार कर नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय भेजा गया।

सम्बन्धित अभियोग

1. मु0अ0सं0 279/2025 धारा 65(1), 333 BNS व 3A/4(2) पास्को एक्ट थाना सहतवार जनपद बलिया

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

1.सन्टू चौहान पुत्र राजेन्द्र चौहान निवासी छपिया (चौहान बस्ती) थाना सहतवार जनपद बलिया उम्र करीब 25 वर्ष

अपराधिक इतिहास

1. मु.अ.सं. 236/2023 धारा 323, 354, 452, 504 भा.द.वि. थाना सहतवार जनपद बलिया